पी. जी.

समक्ष : एस. एस. सोधी, माननीय न्यायमूर्ति

श्रीमती सरोज - *याचिकाकर्ता*

बनाम

श्रीमती मूर्ति देवी और अन्य - उत्तरदाता

1984 का सिविल संशोधन *सं.* 3025।
14 नवंबर 1990

सिविल *प्रक्रिया संहिता, 1908* (1908 *का 5)-धारा* 115-सेना समूह *बीमा योजना- नियम* 9,10 और 11-योजना का *उद्देश्य सेना कर्मियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना-विधवा को नामित करना --उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए माँ द्वारा आवेदन-बीमा राशि की हकदार विधवा।*

अभिनिर्धारित किया गया कि सेना समूह बीमा योजना के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि विधवा की उपस्थिति में, माँ को इसके तहत देय किसी भी राशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

(पैरा 6)

अभिनिर्धारित किया गया कि इस मामले में सेना समूह बीमा योजना के प्रावधानों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए और यह, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से बताता हैं कि यहाँ विधवा है जो इसके तहत देय राशि की हकदार है न कि माता।

(पैरा 9)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत श्री वी.के. कौशल, जिला न्यायाधीश, रोहतक की अदालत के 6 नवंबर, 1984 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, याचिका, जिसमे उन्होंने श्री बी.पी. जिंदल, एचसीएस, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, रोहतक की अदालत के 28 जनवरी, 1984 के आदेश को पलटते हुए, अपील की अनुमति दी थी और आक्षेपित आदेश को रद्द किया जिसमे उन्होंने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए श्रीमती सरोज और उनके पति मुंशी राम द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया और केवल श्रीमती को ही बरकरार रखा जिसमे उन्होंने मृतक की विधवा मूर्ति देवी बीमा राशि की पूरी राशि पाने की हकदार माना और खर्चे के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया।

दावा : उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन

पुनरीक्षण में दावा : निचली अपीलीय अदालत के आदेश को पलटने के लिए प्रार्थना

याचिकाकर्ता की तरफ़ से श्री एस एस अहलावत, अधिवक्ता

उत्तरवादी की तरफ़ से श्री एच एस हुड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, महावीर संधु, अधिवक्ता

निर्णय

एस एस सोढ़ी, माननीय न्यायमूर्ति

(1) यहां मुक़दमा सेना के सिपाही मोहिंदर सिंह की विधवा और मां के बीच सेना समूह बीमा योजना के तहत उनकी मृत्यु के बाद देय राशि को लेकर है।

(2) 29 अप्रैल 1982 को महिंदर सिंह की मृत्यु पर सेना समूह बीमा योजना के तहत उसके उत्तराधिकारियों को रुपए 50,000 रुपये होने थे। इस राशि के संबंध में उनके माता-पिता श्रीमती शारजू और श्री मुंशी राम द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन को मृतक की विधवा मूर्ति देवी ने इस दलील के साथ चुनौती दी कि मृतक की नामांकित व्यक्ति होने के नाते, वह अकेले ही उक्त राशि प्राप्त करने की हकदार थी। ट्रायल कोर्ट ने माना कि विधवा और मां दोनों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं, और उक्त राशिमें बराबर के हकदार है। हालाँकि, अपील पर विधवा सफल रही और यह अभिनिर्धारित गया कि वह पूरी राशि की हकदार थी। यही फ़ैसला पुनिरीक्षिण के लिये हमारे सामने आया है।

(3) इस मामले से परिशीलन के दौरान, सेना समूह बीमा योजना के नियमों और शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में विशेष सेना आदेश के संदर्भ से पता चलता है कि यह बीमा योजना जनवरी 1976 में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय संख्या पीसीए/37586/एजी/पीसी और जेईसी/9302/डी (वेतन/सेवाए) के अधिकार के तहत दिनांक 15 दिसंबर, 1975 को शुरू की गई थी और वहां यह विशेष रूप से बताया गया है कि यह योजना पूरी तरह से विभागीय है और सेना मुख्यालय में सेना समूह

बीमा निदेशालय द्वारा संचालित की जाती है। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं; (a) उन सैन्य कर्मियों के परिवारों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है; (b) सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त सेवानिवृत्ति के लाभ प्रदान करना; और (c) समय-समय पर ट्रस्टियों को बोर्ड द्वारा तय किए गए अन्य लाभ/सहायता प्रदान करना।

(4) नियम 9 में वर्णित किया गया कि सेना समूह बीमा योजना के तहत, सभी रैंकों के लिए ऐसे व्यक्तियों का नामांकन करना अनिवार्य कर दिया गया है जो इसके तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। विवाहित कर्मियों के मामले में, नियम 10 में कहा गया है कि नामांकन केवल निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाना चाहिए :

(a) पत्नी/पति;

(b) बेटे और बेटिया (सौतेले और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं)

जबकि, नियम 11 के अनुसार, इन व्यक्तियों के अलावा, कोई व्यक्ति आश्रित माता-पिता/भाई/बहन को इस प्रावधान के साथ नामांकित कर सकता है परंतु उनका कुल हिस्सा कुल लाभ के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

(5) इसके आगे विचार करने वाला नियम 43 है जो बीमा दावों के भुगतान से संबंधित है जहां कोई नामित नहीं किया गया है। इस नियम के अनुसार, यदि कोई नामित नहीं किया गया है या जीवित नहीं है, और मृतक की पत्नी/पति/बेटे और बेटियां जीवित हैं, तो इसका भुगतान विधवा को किया जाएगा और यह केवल तभी होगा जब पत्नी की मृत्यु मृतक से पूर्व हो गई हो। राशि का भुगतान उसके उपर्युक्त जीवित सदस्यों को बराबर हिस्सो के हिसाब से किया जाएगा। इसके अलावा, मृतक के माता-पिता

इस राशि के हकदार तभी बनते हैं जब मृतक अपनी विधवा और बच्चों के बिना ही मर जाता है।

(6) सेना समूह बीमा योजना के इन स्पष्ट प्रावधानों के आधार पर यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि विधवा की उपस्थिति में, माँ को इसके तहत देय किसी भी राशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

(7) इस स्थिति के कारण, माता जी के वकील ने बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम संख्या IV) के प्रावधानों और श्रीमती सरबती देवी और अन्य बनाम श्रीमती उसीना देवी (1) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया गया । जहां यह अभिनिर्धारित किया गया: —-

> "धारा 39 के तहत केवल नामित करने से नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर जीवन बीमा योजना के तहत देय राशि में कोई लाभकारी ब्याज नहीं मिलता है। नामित करना केवल उस बिंदु को इंगित करता है जो राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत है, और जिसके भुगतान पर बीमाकर्ता को योजना के तहत अपनी देनदारी का वैध निर्वहन मिलता है। हालाँकि, राशि का दावा बीमित व्यक्ति के उत्तराधिकारियों द्वारा उन पर लागू होने वाले उत्तराधिकार के कानून के अनुसार किया जा सकता है।
>
> धारा 39 के प्रासंगिक प्रावधानों का सारांश स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि पॉलिसी धारक अपने जीवन काल के दौरान योजना में अधिकार रखता है और योजना धारक के जीवन काल के दौरान नामित व्यक्ति को योजना में किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यदि ऐसा है, तो योजना धारक की मृत्यु पर योजना के तहत देय राशि उसकी संपत्ति का हिस्सा बन जाती है

जो उस पर लागू उत्तराधिकार कानून द्वारा शासित होती है। ऐसा उत्तराधिकार वसीयतनामा द्वारा या निर्वसीयत हो सकता है। परंतु इस बात से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधिनियम की धारा 39 तीसरे प्रकार के उत्तराधिकार के रूप में कार्य करती है जिसे 'वैधानिक वसीयतनामा' के रूप में शैलीबद्ध किया गया है।

धारा 39 की उप-धारा (6) में प्रावधान है जो कहता है कि राशि नामित व्यक्ति/व्याक्यियों को देय होगी, इसका मतलब यह नहीं है कि राशि नामित व्यक्ति/व्यक्तियों की होगी। धारा 39 की भाषा कानून के तहत उत्तराधिकार की प्रक्रिया को बदलने में सक्षम नहीं है।

(8) वकील ने आगे तर्क दिया कि चूंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, विधवा और मां दोनों प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है, इसलिये वे दोनों समूह बीमा योजना के तहत राशि को समान हिस्सो में साझा करने के हकदार थे।

(9) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया तर्क, हालांकि पहली नजर में आकर्षक है, इस परिस्तिथि में लागू नहीं होता है,जैसा कि माना गया है कि वर्तमान मामले में बीमा बीमा अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या IV) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था इसलिये 1938 का अधिनियम भी यहाँ लागू नहीं होता है। इसलिये श्रीमती सरबती देवी और अन्य मामला (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित बिंदु इस मामले में स्पष्ट रूप से लागू नहीं होते है। इस प्रकार इस मामले पर सेना समूह बीमा योजना के प्रावधानों के संदर्भ में विचार और निर्णय लिया जाना चाहिए और इनमें, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यह विधवा इसके तहत देय राशि की हकदार है, न कि माता जी।

(10) इस प्रकार कानून में स्पष्ट स्थिति होने के कारण, निचली अपीलीय अदालत के आक्षेपित आदेश में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, जिसे तदनुसार बरकरार रखा गया जाता और पुष्टिकरण किया जाता है। हालाँकि, इन परिस्थितियों में, खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़